रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एल.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 507] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 16, 1985/आश्विन 24, 1907
No. 507] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 16, 1985/ASVINA 24, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(आयात व्यापार नियंत्रण)

आदेश सं० 28/85-88

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 1985

का आ 773(अ)—आयात एवं निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा वाणिज्य

मंत्रालय के आदेश सं० 8/85-88, दिनांक 12 अप्रैल, 1985 के अधीन प्रकाशित खुला सामान्य लाइसेंस सं० 8/85, दिनांक 12 अप्रैल, 1985 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. शर्त सं० (1) के लिये निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"(1)(i) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (ओ एन जी सी) आयल इंडिया लि०, और भारतीय गैस प्राधिकरण लि., द्वारा आयात के लिये अनुमित मदें वे होंगी जिनकी देशी दृष्टिकोण से पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन तेल उद्योग में देशी दृष्टिकोण पर गठित प्राधिकृत समिति द्वारा पास किया जायेगा । इससे संबंधित साक्ष्य पत्तन प्राधिकारियों को प्रस्तुत किये जायेंगे । पैरा (3) और (4) के अधीन देशीय दृष्टिकोण से निकासी अपेक्षित नहीं होगी ।

(ii) मैसर्स भारत गोल्ड माइन्स लि० द्वारा आयात के लिये अनुमित मदें वे होंगी जिनको देशीय दृष्टिकोण से डीजीटीडी, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत किया जायेगा । जहां पर किसी भी प्रकार के इलैक्ट्रोनिक मदें जिसमें 5 लाख रुपये अथवा अधिक की लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के लिये प्रतिकृति उपकरण और समुद्री इलैक्ट्रोनिक उपकरण और उनके पुर्जे, चाहे किसी भी मूल्य के हो, शामिल हैं अथवा एक लाख से अधिक मूल्य के सचार उपकरण शामिल हैं, तो ऐसे मामलों में इलैक्ट्रोनिक विभाग द्वारा निकासी दिये जाने पर ही आयात अनुमेय होगा । इससे संबंधित साक्ष्य पत्तन प्राधिकारियों को प्रस्तुत किये जायेंगे । पैरा (3) और (4) के अधीन देशी निकासी अपेक्षित नहीं होगी ।"

[फा सं० आई पी सी/3/7/85]

आर. एस. मिश्र, मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

(Import Trade Control)

ORDER NO. 28|85-88

New Delhi, the 16th October, 1985

S.O. 773(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following amendment in the Open General Licence No. 8|85, dated the 12th April,

1985, published under the Ministry of Commerce, Order No. 8|85-88, dated the 12th April, 1985, namely:—

For condition No. (1), the following shall be substituted, namely:—

"(1)(i) The items permited for import by the Oil and Natural Gas Commission (ONGC), Oil India Ltd., and Gas Authority of India Ltd., shall be those cleared by the Empowered Committee of Indigenisation in the Oil Industry under the Ministry of Petroleum and Natural Gas, from indigenous angle. Evidence to this effect shall be produced to the Customs Authorities. Indigenous clearance will not be required under paras (3) and (4) below.

(ii) The items permitted for import by M|s. Bharat Gold Mines Ltd. shall be those cleared by the DGTD, New Delhi from indigenous angle. Where import of any electronics items including facsimile equipment for a cif value of Rs. 5 lakhs or more and marine electronics equipment and parts irrespective of value is involved, or communication equipments for a value more than Rs. One Lakh is involved, the import shall be allowed only after clearance is given by the Department of Electronics. Evidence to this effect shall be produced to the Customs Authorities. Indigenous clearance will not be required under paras (3) and (4) below."

[File No. IPC|3|7|85]

R. L. MISRA, Chief Controller of Imports and Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985